न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट एवं अपीलीय भरण–पोषण न्यायाधिकरण अजमेर

अपील संख्या 15/2026

श्रीमती अयोध्या देवी उर्फ अजोध्या देवी पत्नि स्व0 श्री गणपत लाल जोशी, आयु करीब 81 वर्ष, जाति हिन्दू–जोशी, निवासी चन्न निवास, रूद्राक्ष मेडिकल दुकान के पास, गुलाब बाडी, पुलिस थाना अलवर गेट, अजमेर

.....अपीलान्ट

बनाम

श्री शान्तिलाल जोशी पुत्र स्व0 श्री गणपत लाल जोशी, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, पुरूषार्थ सीनीयर सैकेण्डरी स्कूल, चितौडगढ किले के नीचे, चितौडगढ (राज0)

.....रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 16 अभिभावको और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 अपील विरूद्ध आक्षेपित आदेश दिनांक 11.02.2026 पीठासीन अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी अजमेर) भरण पोषण न्यायाधिकरण अजमेर

आदेश दिनांक :–19.05.2026

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अधीनस्थ अधिकरण पीठासीन अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी अजमेर) के आदेश दिनांक 11.02.2026, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्वाह भत्ता के अनुतोष का विरूद्ध अप्रार्थी आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को याचित अनुतोष प्रदत नहीं किया गया, से रूष्ट होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्ट को नोटिस जारी किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय का सम्बन्धित रेकॉर्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट स्वयं उपस्थित आये।

रेस्पोडेन्ट द्वारा अपील अन्तर्गत धारा 16 माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी/प्रार्थी द्वारा माननीय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक मूल प्रार्थना पत्र संख्या 18/2025 श्रीमती अयोध्या देवी बनाम श्री शान्तिलाल प्रस्तुत किया गया प्रार्थिया एक 80 वर्षीय वृद्वा होकर अप्रार्थी की माता है तथा अप्रार्थी प्रार्थिया का जायन्दा पुत्र होकर वर्तमान में अपने परिवार सहित चितौडगढ़ में निवास करता है। अप्रार्थी के पिता जो सरकारी नौकरी में थे उनके निधन के समय अप्रार्थी ने प्राथिया व अपनी बहन के समुचित पालन–पोषण किये जाने का वचन व आश्वासन दिये जाने पर प्रार्थिया व उसकी पुत्री ने अपनी सहमति से अप्रार्थी को दिनांक 12.04.1997 को अनुकम्पा के आधार पर सरकारी नौकरी में लगवाया गया। प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आगे अभिवचनों में अप्रार्थी के सरकारी नौकरी में लगने पर उसकी अच्छी आय होने के बावजूद उसे द्वारा प्रार्थिया व उसकी बहन का कोई पालन–पोषण नहीं किया जाने पर प्रार्थिया द्वारा पारिवारिक न्यायाधीश अजमेर के समक्ष

जिला कलक्टर
अजमेर

एक याचिका निर्वाह भत्ता बाबत प्रस्तुत किया जाना व उसमें दिनांक 15.12.2012 को अप्रार्थी द्वारा राजीनामा किया जाकर 4000/– रूपये प्रतिमाह प्रार्थिया को अदा किये जाने पर सहमति दी गई व उसके बाद एक स्टॉम्प पेपर पर 5000 रूपये प्रतिमाह निर्वाह–भत्ता दिये जाने पर भी अपने स्वतन्त्र स्वीकृति दिये जाने व अप्रार्थी द्वारा अपने वायदे में कासिर रहने के कारण उस पर प्रार्थिया के 208000/– रूपये निर्वाह भत्ता के बकाया होकर चले आने के कथन किये गये। इसके आगे प्रार्थिया द्वारा अपने अभिवचनों के तहत उसके बीमार रहने के घुटनों का ऑपरेशन होकर उसका हार्ट की बीमारी से पीड़ित होने व उसके इलाज में काफी राशी खर्च होने तथा उक्त समस्त पर अप्रार्थी द्वारा कोई भी राशी व्यय नहीं की जाकर अपने कर्तव्य व दिये गये वचन व आश्वासन की पालना में लापरवाह रहने के आधार पर माननीय न्यायालय से उसे अप्रार्थी से प्रतिमाह 10000/– रूपये की राशी निर्वाह भत्ता के रूप में दिलवाये जाने का अनुतोष हेतु निवेदन किया गया। प्रार्थी द्वारा माननीय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुति उपरान्त अप्रार्थी द्वारा अपनी उपस्थिती माननीय न्यायालय के समक्ष दर्ज करवाई जाकर अपना विस्तृत जवाब प्रार्थना पत्र अभिलेख पर प्रस्तुत किया गया एवं प्रार्थी के समस्त आरोपो को स्वीकार किया जाकर अपने जवाब के तहत प्रार्थिया को अपने साथ रखकर उसकी बीमारी आदि का सारा खर्चा करने व उचित पालन–पोषण करने बाबत् स्वीकृति दी गई। इसके माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रिया के तहत दोनो पक्षकारान के मध्य समझाईश का प्रयास किया गया किन्तु समझाईश वार्ता का सकारात्मक परिणाम नहीं आने से न्यायिक प्रक्रिया के तहत प्रकरण में दिनांक 11.02.2026 को प्रकरण में निर्णय किया जाकर प्रार्थी प्रार्थना पत्र विरूद्व अप्रार्थी आंशिक रूप से स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थिया को केवल मात्र 2500/– रूपये प्रतिमाह दिलवाये जाने के आदेश पारित किये गये, अपीलांट 80 वर्षीय वृद्व महिला की प्रत्येक माह की दैनिक आवश्यकताओ की एवं उसकी बीमारी पर होनें वाले व्यय की पूर्ती हेतु कम से कम 10000/– रूपये प्रतिमाह की आवश्यकता होगी, के बाबत बरवक्त बहस माननीय न्यायालय का ध्यान इस महत्वपूर्ण तथ्य की ओर आकृषित किये जाने के बावजूद भी माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत निर्णय के तहत अप्रार्थी को केवल मात्र 2500 रूपये प्रतिमाह अदा किये जाने के आदेश पारित फरमाये गये है। अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमायी जाकर माननीय अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नगत आदेश दिनांक 11.02.2026 अपास्त फरमाया जाने बाबत् उचित आदेश पारित फरमावे एवं प्रार्थिया को प्रतिमाह गुजारे–भत्ते बाबत 10000/– रूपये दिलवाये जाने बाबत उचित आदेश पारित फरमावें।

रेस्पोडेन्ट ने अपने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया गया कि अयोध्या देवी अपने स्वर्गीय पति के निर्धन के पश्चात सरकारी विभाग से लगभग 20,000/– रूपये प्रतिमाह पेंशन प्राप्त कर रही है, भरण पोषण नियमानुसार अयोध्या देवी किसी भी तरह का अतिरिक्त राहत प्राप्त नहीं कर सकती है। वृद्धावस्था के कारण मै अपनी मां को अपने साथ ले जाने एवं अपने साथ रखकर उसकी बीमारी, आदि का सारा खर्च करने को सहर्ष तैयार हूं। एकमात्र पुत्र होने के नाते अपनी सारी नैतिक कर्तव्य करने के लिये अपनी मां को साथ रखने व ले जाने को तैयार हूं। अतः अपील खारिज फरमावे।

हमने उपस्थित उभय पक्ष को सुना, अपील तथ्यों एवं रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन मनन किया। उभय पक्ष द्वारा हमारे समक्ष व्यक्त कथनों एवं प्रकट तथ्यों पर समस्त

जिला कलक्टर
अजमेर

दृष्टिकोण से विवेचन किया गया। अपीलांट/प्रार्थी के द्वारा एक प्रार्थना पत्र 18/2025 बउनवान श्रीमती अयोध्या देवी उर्फ अजोध्या देवी बनाम श्री शांतिलाल जोशी के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 4, 5 व 9 माता पिता तथा वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 के तहत भरण पोषण अधिकरण एवं उपखण्ड अधिकारी अजमेर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रार्थिया द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष स्टाम्प पेपर जो रेस्पोडेन्ट श्री शान्तिलाल जोशी ने सहमति/घोषणा प्रस्तुत किया गया जिसमें दिनांक 01.06.2017 से निर्वाह खर्च के 5,000/– रूपये प्रतिमाह नियमित रूप से अदा करने की सहमति दी गई है, अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी श्री शान्तिलाल जोशी को आदेशित किया जाता है कि वह आदेश जारी होने की दिनांक से प्रत्येक माह की 10 तारीख तक अपीलांट श्रीमति अयोध्या देवी उर्फ अजोध्या देवी को वास्ते भरण–पोषण राशि 5,000/– रूपये (अक्षरे पांच हजार रूपये मात्र) अपीलांट के बैंक खाते में जमा करायेंगे। अपीलांट श्रीमति अयोध्या देवी उर्फ अजोध्या देवी अपने बैंक खाते का विवरण अविलम्ब प्रत्यर्थी श्री शान्तिलाल जोशी को उपलब्ध करायेंगे। रेस्पोडेन्ट को इस आदेश से निर्देशित किया जाता है अपीलांट से किसी प्रकार का लडाई–झगड़ा नहीं करें, व अपनी वृद्व माता की देखभाल करे, अपीलांट के प्रति अच्छा व्यवहार करे इस आशय की लिखित अण्डर टेकिंग न्यायालय भरण पोषण न्यायाधिकरण एवं उपखण्ड अधिकारी अजमेर के समक्ष आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवस में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें। न्यायालय भरण पोषण न्यायाधिकरण एवं उपखण्ड अधिकारी अजमेर हाजा न्यायालय के आदेश की पालना सुनिश्चित करावें, आदेश की तनिक भी अवहेलना होने पर अधिनियमानुसार कठोर कार्यवाही अमल में लावें।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 19.05.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

(लोक बन्धु)
जिला मजिस्ट्रेट एवं पीठासीन अधिकारी
अपीलीय भरण पोषण न्यायाधिकरण, अजमेर